



2026:AHC:179834

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

भा.ना.सु.सं. की धारा 482 के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -

8787 सन् 2026

अंकित यादव उर्फ अंकित कुमार और एक अन्य

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

....विपक्षी पक्षकार(गण)

आवेदकगण के अधिवक्ता

: राजेश कुमार

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता (जी.ए.)

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदकगण की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 119 सन् 2026, थाना सहावर, जनपद कासगंज में भा.ना.सं. की धारा 109(1), 191(2), 191(3), 190, 221, 126(2), 121(1), 132, 115(2), 352, 351(3) तथा आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत उन्हें अग्रिम जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि आवेदकगण को उपर्युक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।
3. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि यद्यपि आवेदकगण को प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित किया गया है, उन्हें कोई विशिष्ट भूमिका समनुदेशित नहीं की गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 36 नामित अभियुक्तों तथा कुछ अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज कराई गई है। सह-अभियुक्तगण राहुल कुमार तथा धर्मेन्द्र यादव को इस न्यायालय द्वारा क्रमशः भा.ना.सु.सं. की धारा 482 के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 4622 सन् 2026 तथा 6131 सन् 2026 में अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदक का मामला सह-अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव के मामले के समान आधार पर है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है, तथापि इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि आवेदक का मामला सह-अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव के मामले के समान आधार पर है। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने यह भी इंगित किया है कि आवेदकगण के विरुद्ध एक अन्य मामला भी है, अर्थात् मुकदमा अपराध संख्या 118 सन् 2026, जिसे जमानत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शपथपत्र में स्पष्ट नहीं किया गया है।

5. इस मुद्दे पर प्रत्युत्तर देते हुए, आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि आवेदकगण को मुकदमा अपराध संख्या 118 सन् 2026 तथा 119 सन् 2026 में एक साथ फंसाया गया है।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर विचार किया है।

7. प्रथम सूचना रिपोर्ट 36 नामित अभियुक्तों तथा 10 से 15 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज कराई गई है। आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका समनुदेशित नहीं की गई है। सह-अभियुक्त धर्मेन्द्र यादव को इस न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है।

8. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा इस तथ्य को भी दृष्टिगत रखते हुए कि सह-अभियुक्त का मामला आवेदक के मामले के समान आधार पर है, आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान किया जाना उचित होगा।

9. उपर्युक्त के दृष्टिगत, आवेदकगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

10. आवेदकगण-अंकित यादव उर्फ अंकित कुमार तथा अंशुल की गिरफ्तारी की स्थिति में, उन्हें उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संबंधित थाने/न्यायालय के थानाध्यक्ष की संतुष्टि पर समान धनराशि के अपने-अपने व्यक्तिगत बंधपत्र तथा प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर अविलंब मुक्त किया जाएगा:-

i. आवेदकगण जब भी आवश्यक हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ हेतु स्वयं को उपलब्ध कराएँगे;

ii. आवेदकगण मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोकने हेतु कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देंगे;

iii. आवेदकगण न्यायालय की पूर्वानुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



iv. आवेदकगण अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेंगे/उसे धमकाएँगे नहीं;

11. उपर्युक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने हेतु स्वतंत्र होगा।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियाँ विशेष रूप से वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु हैं तथा इन्हें मामले के गुण-दोष पर राय नहीं समझा जाए।

(राजीव लोचन शुक्ला, न्यायमूर्ति)

25 अगस्त, 2026

सचिन

Translated Version, Not For Legal Use.